प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 86 सन 2021

अनवान :–

1. कृष्णादेवी पत्नी रामप्रताप जाति जाट साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 08.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा जोगी आसन न0 1 के खाता संख्या 19/28 की कुल 1.2780हैक भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी की जाति राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय जाति चाचाण दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी की सही जाति जाट है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी की जाति गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी की जाति अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी की जाति जाट दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति गलत तौर से दर्ज हुई है इसलिये प्रार्थी अपनी जाति राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी की जाति संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा जोगी आसन न0 1 के खाता संख्या 19/28 की कुल 1.2780हैक भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

जिसमें प्रार्थी की जाति चाचाण दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही जाति जाट है यही जाति अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी की जाति जाट दर्ज है तथा प्रार्थी ने जरिये बेयनामा भूमि खरीद की है जिसमें भी प्रार्थी की जाति जाट दर्ज है नामान्तकरण में भी जाति जाट दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति चाचाण गलत तौर से दर्ज हुई है इसलिये वादी अपनी जाति राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है जाति संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा जोगी आसन न0 1 के खाता संख्या 19/28 की कुल 1. 2780हैक भूमि में प्रार्थी की जाति चाचाण दर्ज के स्थान पर जाट संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट ललानाबास उतरादा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :– प्रकरण अनवानी कृष्णा देवी बनाम सरकार में` पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. कृष्णादेवी पत्नी रामप्रताप जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 40 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जोगी आसन न0 1 के खाता संख्या 19/28 की कुल 1. 2780हैक्ट भूमि में प्रार्थी की जाति चाचाण दर्ज के स्थान पर जाट संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट ललानाबास उतरादा